उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 55/विसहा/(2)/2021/ 68 भोपाल दिनांक 21.02.2022

आदेश

मेसर्स दौलत राम ब्रेक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्लॉट न. 25 न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2 मंडीदीप जिला रायसेन मध्यप्रदेश के अनुदान प्रकरण में जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध इकाई द्वारा उद्योग आयुक्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के संबंध में इकाई को दिनांक 14.01.2022 को वर्चुअल सुनवाई हेतु बुलाया गया था। सुनवाई में इकाई के प्रोपराईटर श्री वेदप्रकाश शर्मा उपस्थित हुए।

1- **अपील के बिन्दु एवं जिला स्तरीय सहायता समिति का निर्णय :-**

इकाई द्वारा अपील में यह बताया गया है कि ब्रेक ब्लाक्स निर्माण हेतु उनके द्वारा स्थापित इकाई में विस्तार अंतर्गत कुल पूंजी निवेश राशि रूपये 1,26,43,787/- एवं प्लांट एवं मशीनरी में राशि रूपये 1,01,29,620/- निवेश किया जाकर मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडीदीप में आवेदन किया गया था । इकाई के आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक दिनांक 26.07.2021 में इकाई का विद्युत संयोजन इकाई के नाम न होने से समिति द्वारा आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई का प्रकरण निरस्त किये जाने के विरूद्ध इकाई द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है ।

2- **विश्लेषण एवं अपील पर आदेश :-**

इकाई द्वारा अपील में दी गई जानकारी, सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि विचाराधीन इकाई मेसर्स दौलतराम ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, प्लाट क्रमांक 25 न्यू औद्योगिक क्षेत्र -2 मण्डीदीप जिला रायसेन पर स्थापित इकाई है तथा इकाई से लगे हुए प्लाट क्रमांक 23 एवं 24 न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2 मण्डीदीप पर मेसर्स माईका प्लाई नामक इकाई स्थापित है। विचाराधीन इकाई द्वारा मेसर्स माईका प्लाई को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. से प्राप्त विद्युत कनेक्शन से सब-मीटर के माध्यम से मेसर्स दौलतराम ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को चलाया जा रहा है। विचाराधीन इकाई को सब-मीटर से प्राप्त विद्युत के संबंध में

मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लि. द्वारा अपने पत्र क्रमांक 610 दिनांक 25.06.2015 से यह अवगत कराया गया है कि दोनों इकाईयों के भूखण्डों हेतु पृथक लीजडीड निष्पादित है, अर्थात उन्हें दोनों इकाईयों को एक ही विद्युत कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लि. के द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है।

सुनवाई में इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों इकाईयां क्रमश: मेसर्स दौलतराम ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, प्लाट क्रमांक 25 न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2 मण्डीदीप तथा मेसर्स माईका प्लाय, मण्डीदीप में श्री व्ही. पी. शर्मा प्रोप्राइटर समान हैं तथा सुविधाजनक विद्युत आपूर्ति के लिये दोनों इकाई के द्वारा मिलकर 33 के. व्ही. कनेक्शन प्राप्त किया गया है जिसका रिकार्ड पृथक सब-मीटर के द्वारा संधारित किया जाता है।

इकाई की अपील पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा ब्रेक ब्लॉक्स प्रोडक्ट के निर्माण हेतु इकाई भूखण्ड क्रमांक 25 औद्योगिक क्षेत्र-2 मण्डीदीप में स्थापित की गई है जिसके लिये मप्र एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन किया गया है। चूंकि इकाई द्वारा उद्योग स्थापना हेतु नवीन पूंजी निवेश किया गया है तथा उसके द्वारा विद्युत प्राप्त करने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. को आपत्ति नहीं है, अत: इकाई को उसके द्वारा किये गये नवीन पूंजी निवेश पर अनुदान की पात्रता आती है। अत: उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई के अनुदान प्रकरण पर नये सिरे से विचार कर निर्णय लें।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 55/विसहा/(2)/2021/681 - 682 भोपाल दिनांक 21.02.2022

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडीदीप, जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स दौलत राम ब्रेक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्लॉट न. 25 न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2 मंडीदीप जिला रायसेन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक उद्योग 21/02/22
कृते उद्योग आयुक्त, म. प्र.

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 96/विसहा/(2)/2019/ 65 भोपाल दिनांक 21 .02.2022

आदेश

मेसर्स घिया ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. पिगडम्बर महु जिला इन्दौर मध्यप्रदेश के अनुदान प्रकरण में जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध इकाई द्वारा उद्योग आयुक्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के संबंध में इकाई को दिनांक 14.01.2022 को वर्चुअल सुनवाई हेतु बुलाया गया था। सुनवाई में इकाई के संचालक श्री मोहनलाल खंडेलवाल उपस्थित हुए।

1- अपील के बिन्दु एवं जिला स्तरीय सहायता समिति का निर्णय :-

इकाई द्वारा अपील में यह बताया गया है कि रवा, दलिया, चापड़ एवं पशु आहार निर्माण हेतु उनके द्वारा स्थापित इकाई में डायवर्सीफिकेशन अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 53,17,917/- निवेश किया जाकर मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर में आवेदन किया गया था। इकाई के आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक दिनांक 28.08.2019 में प्लांट एवं मशीनरी हेतु किये गये निवेश राशि रूपये 53,17,917/- के विरूद्ध राशि रूपये 26,06,741/- मान्य किया गया। मान्य की गई राशि म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की कंडिका क्रमांक 4.7 के प्रावधान अनुसार डायवर्सीफिकेशन के पूर्व पूंजी विनियोजन का 50 प्रतिशत या कम से कम 25 लाख से कम होने के कारण इकाई का उद्योग विकास अनुदान हेतु प्रकरण अमान्य किया गया है। जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई का प्रकरण अमान्य किये जाने के विरूद्ध इकाई द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

2- विश्लेषण एवं अपील पर आदेश :-

इकाई की अपील पर सुनवाई के दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा निम्नानुसार कारणों से निवेश अमान्य करने की जानकारी दी गयी :-

1. रूपये 23,81,388/- यंत्र-संयंत्र की परिभाषा में न आने के कारण।
2. रूपये 3,65,871/- भुगतान की पुष्टि न होने के कारण।

सुनवाई में इकाई संचालक द्वारा बताया गया कि भुगतान की पुष्टि के अभाव में निवेश अमान्य किया जाना उचित नहीं है क्योंकि भुगतान पुष्टि के संबंध में इकाई द्वारा जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इन्दौर को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इकाई अनुसार अपात्र किये गये यंत्र-संयंत्र भी योजनान्तर्गत पात्र है एवं उत्पाद बनाने में आवश्यक हैं।

इकाई द्वारा अपील में दी गई जानकारी, सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों तथा महाप्रबंधक द्वारा इकाई के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश में से राशि रूपये 26,06,741/- अमान्य किये जाने के संबंध में प्रस्तुत जानकारी का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इकाई द्वारा डायवर्सीफिकेशन अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश को लेकर इकाई एवं जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय में विरोधाभास है।

अत: विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा भुगतान की पुष्टि न होने के कारण अमान्य किये गये निवेश (रूपये 3,65,871/-) के संबंध में बैंक के भुगतान स्टेटमेंट तथा यंत्र-संयंत्र की परिभाषा में न आने वाले निवेश (रूपये 23,81,388/-) के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर के द्वारा किये गये प्रमाणीकरण की जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर को उपलब्ध कराई जाये। तत्पश्चात जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई के डायवर्सीफिकेशन अंतर्गत अनुदान प्रकरण पर गुण - दोष के आधार पर स्पीकिंग आर्डर (Speaking Order) पारित करते हुये उपयुक्त निर्णय लिया जाये।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 96/विसहा/(2)/2019/ 675-676 भोपाल दिनांक 21 .02.2022

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स घिया ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. पिगडम्बर महू जिला इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक उद्योग 21/02/22
कृते उद्योग आयुक्त, म. प्र.

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 56/विसहा/(2)/2021/ 67 भोपाल दिनांक 21.02.2022

आदेश

मेसर्स जी.आर.एस. एग्रोटेक ग्राम नलवा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश के अनुदान प्रकरण में जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध इकाई द्वारा उद्योग आयुक्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के संबंध में इकाई को दिनांक 14.01.2022 को वर्चुअल सुनवाई हेतु बुलाया गया था। सुनवाई में इकाई के संचालक जिनेन्द्र सूर्या उपस्थित हुए।

1- अपील के बिन्दु एवं जिला स्तरीय सहायता समिति का निर्णय :-

इकाई द्वारा अपील में यह बताया गया है कि सोया डीओसी, सोया ऑयल उत्पाद निर्माण हेतु उनके द्वारा स्थापित नवीन इकाई में भवन हेतु रूपये 82.26 लाख एवं प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 99.80 लाख निवेश किया जाकर मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन में आवेदन किया गया था। इकाई के आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक दिनांक 19.03.2021 में इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में कुल आवेदित पूंजी निवेश रूपये 182.06 लाख के विरूद्ध रूपये 132.80 लाख मान्य करते हुए शेष निवेश अमान्य किया गया। इकाई द्वारा उनका शेष निवेश अमान्य किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

2- विश्लेषण एवं अपील पर आदेश :-

इकाई की अपील पर सुनवाई के दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन द्वारा निम्नानुसार कारणों से निवेश अमान्य करने की जानकारी दी गयी :-

3. रूपये 12.47 लाख - यंत्र-संयंत्र की परिभाषा में न आने के कारण।
4. रूपये 36.80 लाख - चार्टर्ड इंजीनियर एवं भुगतान राशि के कारण।

सुनवाई में इकाई द्वारा बताया गया कि भुगतान की पुष्टि के अभाव में निवेश अमान्य किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि भुगतान पुष्टि के संबंध में इकाई द्वारा जानकारी जिला

व्यापार एवं उद्योग केंद्र उज्जैन को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इकाई द्वारा प्रस्तुत तथ्य के संदर्भ में महाप्रबंधक जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक आयोजित हो जाने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी थी जिसके कारण उक्त निवेश को इकाई के मान्य योग्य निवेश में सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रकरण का समग्र अवलोकन करने के पश्चात विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई का वह निवेश जो भुगतान की पुष्टि के अभाव अथवा अन्य कारणों से अमान्य किया गया है उसका पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण पुन: जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए गुण-दोष के आधार पर इकाई के मान्य योग्य पूंजी निवेश एवं स्वीकृति योग्य उद्योग विकास अनुदान पर उचित निर्णय लिया जाए। इकाई की अपील का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा ऑयल एक्सपेलर स्थापित किया जाकर सोया ऑयल और डीओसी बनाया जाता है तथा ऑयल एक्सपेलर की स्थापना पर इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी अंतर्गत रूपये 99.80 लाख निवेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 की अपात्र सूची के अनुक्रमांक 12 पर प्लांट एवं मशीनरी अंतर्गत रूपये 1 करोड़ तक की सीमा में ऑयल एक्सपेलर पर निवेश करने वाली इकाई को ही सुविधा की पात्रता है। अत: विचाराधीन प्रकरण में इस तथ्य का भी अच्छी तरह परीक्षण कर लिया जाये कि इकाई में ऑयल एक्सपेलर पर किया गया निवेश अनुदान हेतु निर्धारित सीमा (1 करोड़) में है।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 56/विसहा/(2)/2021/ 679-680 भोपाल दिनांक 21.02.2022

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मेसर्स जी.आर.एस. एग्रोटेक ग्राम नलवा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक उद्योग 21/02/22
कृते उद्योग आयुक्त, म. प्र.